RELIANCE स्टील एवं एल्युमिनियम कम्पनी

रिश्वत-रोधी एवं भ्रष्टाचार-रोधी नीति

परिचय

1. Reliance सत्यनिष्ठा के साथ, तथा सभी अनुप्रयोज्य कानूनों एवं विनियमनों जैसे कि यू.एस. फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट ("***FCPA***") तथा यू.के. ब्राइबरी एक्ट ऑफ 2010 ("***UK Bribery Act***") अनुपालन में नैतिक एवं विधिक रूप से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अंग के रूप में, Reliance की एक दीर्घस्थायी नीति है जो यूनाइटेड स्टेट् एवं विदेशों में हमारे व्यवसाय के संचालन में रिश्वत एवं भ्रष्टाचार को निषेधित करती है।

2. यह रिश्वत-रोधी तथा भ्रष्टाचार-रोधी व्यावसायिक नीति ("***नीति***") Reliance के सभी निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, अधीनस्थ कम्पनियों, तथा सम्बद्ध कम्पनियों पर लागू होती है, वे Reliance की ओर से अपने क्रियाकलाप करने के संदर्भ में चाहे जहां पर भी स्थित हों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से "***कर्मचारियों***" के रूप में संदर्भित किया गया है)। Reliance अपनी ओर से या Reliance के हित में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति – जिसमें संयुक्त उपक्रम तथा अन्य व्यवसायिक साझेदार, अभिकर्तागण, वितरक तथा परामर्शदाता शामिल हैं, लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं है (इसके पश्चात सामूहिक रूप से "***व्यवसायिक साझेदार***" के रूप में संदर्भित किया गया तथा कर्मचारियों समेत "***बिजनेस एसोसिएट्स***") – से सभी अनुप्रयोज्य भ्रष्टाचारा रोधी कानूनों एवं नीति का अनुपालन करने की अपेक्षा करता है।

3. बिजनेस एसोसिएट्स इन आवश्यकताओं को अवरोधित करने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते है। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस एसोसिएट किसी ऐसे कार्य को करने के लिए तृतीय पक्ष से नहीं कह सकता है अथवा अन्यथा उपयोग कर सकता है, जो कि इस नीति द्वारा निषेधित है।

रिश्वत एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए सामान्य आवश्यताएं

4. बिजनेस एसोसिएट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से - किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु (जिसमें नकद शामिल है लेकिन केवल इस तक सीमित नहीं है) देने, वादा करने , अनुमोदित करने, अधिकृत करने या प्रस्ताव करने - अथवा किसी व्यक्ति से स्वीकार करने या मांगने का कार्य नहीं कर सकता है, जिसका उद्देश्य, प्राप्तकर्ता द्वारा किसी ऐसी अनुचित कार्यवाही को अभिप्रेरित करना (अथवा कार्यवाही करने से रोकना) है, जिसके परिणामस्वरूप Reliance, इसकी सम्बद्ध कम्पनियों अथवा किसी अन्य पक्ष को कोई वाणिज्यिक लाभ प्राप्त हो।

5. परिजनों, करीबी एसोसिएट्ए अथवा व्यावसायिक साझेदारों के पसंदीदा संगठनों, संभावित व्यावसायिक साझेदरों अथवा सार्वजनिक अधिकारिकयों को कोई मूल्यवान वस्तु दिए जाने में - आमतौर पर उपहार, मनोरंजन एवं हॉस्पिलैटिलेटी के लिए निर्धारित की गई सीमाओं का ही पालन किया जाना चाहिए, ताकि इन कार्यवाहियों को इन नियमों का अवरूद्ध किए जाने के प्रयास के रूप में विवेचना किया जा सके।

सार्वजनिक अधिकारियों के साथ डील करना

6. जबकि किसी भी प्रकार की रिश्वत (निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों जगह) को निषेधित करना Reliance की नीति है, वहीं सार्वजनिक अधिकारियों (नीचे परिभाषित किए गए) के साथ इंटरैक्शन्स को- अनुप्रयोज्य भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के अधिक जोखिम के कारण विशेष रूप से करीब से मॉनिटर किया जाना अनिवार्य हैं। सार्वजनिक अधिकारियों की रिश्वतखोरी प्रत्येक देश में विधि विरूद्ध है, तथा अक्सर इसमें कर्मचारी और

नियोक्ता दोनों के लिए आपराधिक दण्ड होते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों से सम्बन्धित किसी वित्तीय अथवा व्यावसायिक लेनदेन, तथा कोई उपहार अथवा मनोरंजन/हॉस्पिलैलिटी की Reliance एवं कम्पनी के बाहर के द्वारा विशेष तौर पर ध्यान से जांच-पड़ताल की जाएगी।

7. इसके अतिरिक्त यूनाइटेड स्टेट्स एवं यूनाइटेड किंगडम समेत बहुत से देशों में विदेशों में सार्वजनिक अधिकारियों की रिश्वतखोरी के विरूद्ध कानून हैं। इसलिए यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी किसी भी रिश्वत - आप एवं Reliance के लिए एक से अधिक कानूनी अधिकार क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न करेगी। इस प्रकार, सार्वजनिक अधिकारियों के साथ सभी इंटरैक्शन्स में इस नीति का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए, ताकि Reliance की ओर से किसी अनुपयुक्तता की संभावना से बचा जा सके।

8. इस नीति के उद्देश्यों के लिए, एक "सार्वजनिक अधिकारी" में शामिल हैं: (i) किसी सरकार अथवा किसी विभाग, उनकी एजेन्सी या साधन (एक सरकारी-स्वामित्व वाला अथवा सरकार-नियंत्रित राज्य उद्यम अथव कोई राज्य-संचालित इकाई अथवा सिस्टम समेत) अथवा किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम का कोई अधिकारी या कर्मचारी; (ii) किसी सरकार या सरकारी निकाय, किसी राजनीतिक दल अथवा दल अधिकारी या राजनीतिक पद अथवा राजनीतिक दल के लिए उम्मीद के लिए उम्मीदवार के लिए या उनकी ओर से किसी आधिकारिक क्षमता में कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति, (उदाहरण के लिए इसमें सरकारी पदों पर आसीन परामर्शदाता, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कम्पनियों के कर्मचारी, जनसेवक, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी, राजनीतिक उम्मीदवार तथा सैन्य सदस्य शामिल हैं)। यद्यपि कि वे स्वयं सार्वजनिक अधिकारी नहीं हैं, फिर भी सार्वजनिक अधिकारियों के परिजनों, तथा उनके अन्य करीबी साथियों के साथ इंटरैक्शन्स में सार्वजनिक अधिकारियों के साथ इंटरैक्शन पर लागू होने वाले वाले प्रतिबंध ही लागू होंगे।

9. अपनी Reliance-सम्बन्धित क्रियाकलापों को संचालित करने के दौरान बिजनेस एसोसिएट्स को किसी व्यक्ति को किसी धन या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रस्ताव, भुगतान, दिया जाना, वादा करना अथव भुगतान अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए, जबकि सुसंगत परिस्थितियां इस बात की उच्च संभावना दर्शा रही हों कि उस व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक अधिकारी के आधिकारिक फंक्शन्स के निष्पाद को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी के लाभ के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी को धन या कोई मूल्यवान वस्तुत प्रस्तावित किया है या प्रदान किया है अथवा प्रस्ताव करेगा प्रदान करेगा।

10. बिजनेस एसोसिएट्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुगमता भुगतान करने या प्रस्तावित की अनुमति नहीं है। एक “सुगमता भुगतान”, किसी रूटीन गैर-विवेकाधिकारात्मक कार्यवाही का निष्पादन सुरक्षित या तीव्र करने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी को एक अभिहित भुगतान होता है। सुगमता भुगतान के उदाहरणों में शामिल है - लाइसेंस, अनुज्ञापत्र अथवा वीजा की प्रोसेसिंग की गति तीव्र करने के लिए भुगतान, जिसके लिए सभी कागजी कार्यवाही उचित रूप से की गई है। यदि किसी बिजनेस एसोसिएट से Reliance के कार्य के सम्बन्ध में किसी सुगमता भुगतान की मांग अथवा अनुरोध किया जाता है अथवा उसे इसके बारे में पता चलता है, तो कोई भी आगे की कार्यवाही करने से पहले बिजनेस एसोसिएट को ऐसे अनुरोध अथवा मांग के बारे में अपने प्राथमिक सुपरवाइजर या कॉरपोरेट विधिक समूह को तुरन्त रिपोर्ट करनी चाहिए। किसी शेड्युल के अनुरूप किसी सरकारी एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली वैधानिक तथा विधिक सेवाओं के शुल्क का भगतान को सुगमता भुगतान नहीं माना जाता है।

उपहार, अतिथि-सत्कार और मनोरंजन

11. बहुत से देशों में उपहार, अतिथि-सत्कार और मनोरंजन - बिजनेस प्रोटोकॉल तथा रीति-रिवाजों में एक महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं। वैसे, अनुचित तौर पर उपहार, अतिथि-सत्कार और मनोरंजन प्रदान किए जाने पर एक या अधिक कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए कानूनों एवं Reliance नीतियों का पालन किया जाना आवश्यक है।

12. सभी उपहार, अतिथि-सत्कार और मनोरंजन के लिए निम्नलिखित बातें होना आवश्यक है:

- सभी भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों समेत FCPA, यूके ब्राइबरी एक्ट तथा अनुप्रयोज्य स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत विधिक होना
- पारदर्शी एवं प्रलेखित होना
- यदाकदा होना
- नकद या नकद समतुल्य न होना
- उनके द्वारा बदले में कोई अनुचित कार्यवाही अपेक्षित होने पर कभी भी नहीं दिया या स्वीकार किया जाना चाहिए
- यदि प्राप्तकर्ता एक सार्वजनिक अधिकारी है, तो आपको केन्द्रीय परिषद की एक पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करन आवश्यक है

13. Reliance के कार्य के सम्बन्ध में, कर्मचारियों को बिजनेस एसोसिएट या उनकी ओर से कार्यवाही करने वाले किसी व्यक्ति से टोकन या सांकेतिक मौद्रिक मूल्य से अधिक का उपहार, सेवा, अनुलाभ, मनोरंजन या अन्य वस्तुएं स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, सांकेतिक मूल्य के उपहार केवल तभी अनुमत हैं, जबकि उन्हें केवल यदा-कदा प्राप्त किया जाए तथा उपहार देने के उपयुक्त अवसरों पर प्राप्त हों।

धर्मार्थ दान एवं राजनीतिक योगदान

14. राजनीतिक उम्मीदवारों अथवा राजनीतिक दलों को योगदान, साथ ही साथ किन्हीं ऐसे धर्मार्थ संगठनों - जिनेमें सार्वजनिक अधिकारियों की भूमिका है - में दान करने से भ्रष्टाचार-रोधी कानूनें के अन्तर्गत संभावित मुद्दे उठते हैं। इसी प्रकार, महापरिषद की ओर से लिखित पूर्व-अनुमोदित हुए बिना Reliance की ओर से कोई राजनीतिक योगदान या धर्मार्थ दान नहीं किया जा सकता है।

15. बिजनेस एसोसिएट अपने स्वयं के धन एवं समय के साथ, अनुप्रयोज्य कानूनों द्वारा अनुमत स्तर तक, राजनीतिक एवं धर्मार्थ क्रियाकलापों में योगदान कर सकते हैं। ऐसा क्रियाकलापों को एक ऐसे तरीके से करना आवश्यक है, जिससे किसी बाहरी प्रेक्षक की दृष्टि में यह स्पष्ट रहे कि उनका Reliance के व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

बही-खाते एवं अभिलेख

16. Reliance एवं इसकी सहायक-कम्पनियों तथा सम्बद्ध कम्पनियों के बही-खातों एवं अभिलेखों को Reliance एवं इसकी सहायक-कम्पनियों तथा सम्बद्ध-कम्पनियों के लेनदेन तथा क्रियाकलापों समेत लेनदेन या क्रियाकलाप की प्रकृति एवं उद्देश्य को अवश्य ही उचित, सटीक तथा पूर्ण रूप से, उपयुक्त विवरण के साथ दर्शाना चाहिए। हमारे बही-खातों या अभिलेखों में कोई गलत, अशुद्ध या अपूर्ण प्रविष्टि नहीं की जा सकती है। आवश्यक होने पर कॉरपोरेट विधिक समूह से सहायता के साथ लेखांकन एवं वित्त कर्मचारी यह पुष्टि करेंगे कि Reliance एवं इसकी सहायक कम्पनियों तथा सम्बद्ध-कम्पनियों के बही-खाते तथा अभिलेख, आवधिक समीक्षाओं एवं अन्य माध्यमों के द्वारा इस शर्त को पूर्ण करते हैं।

17. Reliance इसकी सहायक-कम्पनियां तथा सम्बद्ध-कम्पनियां एक आंतरिक लेखांकन नियंत्रण तैयार करेंगी, जो उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा कि:

- लेनदेन को प्रबन्धन के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकरण के अनुरूप निष्पादित किया गया है।

- लेनदेन को आवश्यकता के अनुरूप अभिलिखित किया गा है, (1) ताकि सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों अथवा ऐसे स्टेटमेन्ट्स पर अनुप्रयोज्य किसी अन्य मानदण्ड के अनुरूप वित्तीय स्टेटमेन्ट तैयार किया जाए; (2) ताकि परिसम्पत्तियों के लिए देयताओं का रखरखाव किया जा सके।

- परिसम्पत्तियों तक पहुंच की अनुमति केवल प्रबन्धन के सामान्य अथवा विशिष्ट प्राधिकरण के अनुपालन में ही है।

- उचित रूप से नियमित समय अन्तराल पर परिसम्पत्तियों के लिए अभिलिखित देयताओं की तुलना की जाती है, तथा किसी भिन्नता के संदर्भ में उचित कार्यवाही की जाए।

इस नीति के समर्थन में जिम्मेदारियां

18. इस नीति का अनुपालन अनिवार्य है। इस नीति में वर्णित सिद्धांतों एवं आवश्यकताओं में सहभागिता एवं इनका अनपुालन - प्रत्येक कर्मचारी के वार्षिक मूल्यांकन के एलीमेन्ट्स होंगे तथा पारितोषिक, पदोन्नति एवं प्रतिधारण से सम्बन्धित निर्णयों को प्रभावित करेंगे।

19. इस नीति का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें सेवा-समाप्ति तक शामिल है। इस नीति का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक साझेदारों का Reliance के साथ सभी वाणिज्यिक सम्बन्धों को समाप्त किया जा सकता है।

20. अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, कॉरपोरेट विधिक समूह द्वारा निर्धारित समय पर निम्नलिखित कर्मचारियें को अनुपालन प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है: i) Reliance एवं इसके अनुभागों, सहायक-कम्पनियों, तथा सम्बद्ध-कम्पनियों (सामूहिक रूप से "***Reliance वरिष्ठ कर्मचारी***") के अधिकारियों एवं प्रबन्धन कर्मचारियों समेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, मुख्य संचालन अधिकारी, उपाध्यक्ष, महा-प्रबन्धक, अनुभाग प्रबन्धक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, व नियंत्रक, तथा (ii) ऐसे सभी कर्मचारी अथवा अभिकर्ता जो कि सार्वजनिक अधिकारियों, व्यावसायिक सझेदारों, अथवा ग्राहकों के साथ इंटरैक्ट करते हैं (ऐसे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से "***Reliance प्रतिनिधियों***") के रूप में संदर्भित किया जाता है।

21. इसके अतिरिक्त, सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के लिए हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए Reliance वरिष्ठ कर्मचारियों तथा Reliance प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि Reliance की ओर से कार्य करने वाले अन्य लोगों समेत हमारे व्यासायिक साझेदारों द्वारा इस नीति को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा पालन किया जाता है।

22. Reliance वरिष्ठ कर्मचारियों तथा Reliance प्रतिनिधियों को इसके साथ परिशिष्ट A के रूप में संलग्नित अनुपालन प्रमाणन को प्रतिवर्ष जमा करने की आवश्यकता होगी। Reliance द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में अनुपालन प्रमाणन को पूर्ण करके कॉरपोरेट विधिक समूह को सौंपा जाएगा। व्यावसायिक साझेदारों को को इसके साथ परिशिष्ट A के रूप में संलग्नित अनुपालन प्रमाणन को कॉरपोरेट विधिक समूह द्वारा मांग करने पर जमा करने की आवश्यकता होगी।

23. इस नीति से सम्बन्धित कोई प्रश्न को महापरिषद के समक्ष रखा जाना चहिए +1-213-576-8832 अथवा will.smith@rsac.com.

24. बिजनेस एसोसिएट से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नीति अथवा कानून के संभावित उल्लंघन से सम्बन्धित चिंताओं को प्रकट करें। आपके सुपरवाइजर, कॉरपोरेट विधिक समूह, अथवा अनुप्रयोज्य EthicsPoint

हॉटलाइन के माध्यम से रिपोर्ट की जा सकती है। इस प्रकार की रिपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सम्प्रेषण करने में विफल होने का परिणाम अनुशासनात्मक कार्यवाही या अनुबंध की समाप्ति के रूप में हो सकता है।

25. किसी भी ऐसी रिपोर्ट को अनामतापूर्वक किया जा सकता है। किन्हीं भी परिस्थितियो में, सद्भावनापूर्वक की गई किसी संदिग्ध या वास्तविक उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए आपके साथ प्रतिकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। Reliance में किसी भी व्यक्ति को आपके विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुमति नहीं होगी, तथा ऐसा करने का प्रयास करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

* * *